न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, **R.A.S.**

वाद संख्याः 237/2021

दायर दिनाँक 01.09.2021

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. खेताराम पुत्र आसुराम, 2. मूलाराम पुत्र आसुराम, जाति माली, निवासीयान हरनारायण बास, डीडवाना, जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. रामूराम पुत्र आसुराम, जाति माली, निवासी हरनारायण बास, डीडवाना जिला नागौर राज0 2. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 11.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 03 रकबा 35.12 बीघा अर्थात 5.7600 हैक्टर, खसरा संख्या 02 रकबा 0.02 हैक्टर गैर मुमकिन ढ़ाणी कुल 35.14 बीघा अर्थात 5.7800 हैक्टर वाके पठानो का बाढ़ स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। खेत खसरा संख्या 02 व 03 का कानूनी रूप से बंटवारा श्रीमान सहायक कलैक्टर डीडवाना के आदेश से हुआ, जिसके अनुसार वादी नम्बर 01 खेताराम के बंट व कब्जा काश्त में खसरा संख्या 02 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा संख्या 03 के नये खसरा संख्या 449/3 रकबा 1.9066 हैक्टर कुल 1.9266 हैक्टर अर्थात 11.18 बीघा भूमि की खातेदारी दर्ज हुयी, तथा वादी नम्बर 02 मूलाराम के बंट व कब्जा काश्त की होने से खसरा संख्या 450/3 रकबा 1.9267 हैक्टर अर्थात 11.18 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज हुयी, तथा प्रतिवादी नम्बर 01 रामूराम के बंट व खातेदारी की होने से खसरा संख्या 03 रकबा 1.9267 हैक्टर अर्थात 11.18 बीघा भूमि की खातेदारी दर्ज हुयी, अर्थात श्रीमान के आदेशानुसार तीनो भाईयों के बराबर बराबर भूमि बंट व कब्जा काश्त में दर्ज हो गयी, तथा इसी माफिक पक्षकारान अपने अपने हिंस्सो पर काबिज चले आ रहे है। जिसका उल्लेख जमाबन्दी की नकल में है। खेतो का मौखिक बंटवारा पक्षकारान ने आज से करीब 20 वर्ष पूर्व ही कर लिया था, जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 प्रत्येक 1/3 हिंस्से भूमि पर काबिज हो गये, तथा इस मौखिक बंटवारा बाबत पक्षकारान ने एक ईकरारनामा (भाई बंटवारा) दिनॉक 27.11.2019 को पॉच सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर टाईप करवाकर नोटेरी से तस्दीक करवा लिया था, तथा उस ईकरारनामा में पक्षकारान ने अपने अपने हिंस्सो का उल्लेख नक्शा बनाकर दर्शाया है, ईकरारनामा की नकल वाद के साथ पेश है। वादीगण के खेतो में से होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एक रिंग रोड़ का निर्माण होने से खसरा संख्या 469/449 रकबा 0.4040 हैक्टर गैर मुमकिन सड़क, खसरा संख्या 472/450 रकबा 0.2830 हैक्टर गैर मुमकिन सड़क कुल 0.6870 हैक्टर भूमि सड़क सीमा में चली गयी, जिसके कारण वादीगण के बंट, खातेदारी व हक हिंस्से में आयी हुयी भूमि में से रिगं रोड़ में गयी भूमि के कारण वादीगण का रकबा कम हो गया, जिसके कारण वादी नम्बर 01 खेताराम की खातेदारी में खसरा संख्या 449/3 रकबा 1.1226 हैक्टर, खसरा संख्या 470/3 रकबा 0.3800 हैक्टर कुल 1.5026 हैक्टर रह गयी, तथा इसी प्रकार वादी नम्बर 02 मूलाराम की खातेदारी में खसरा संख्या 450/3 रकबा 1.5647 हैक्टर, खसरा संख्या 471/450 रकबा 0.0790 हैक्टर कुल 1.6437 हैक्टर भूमि दर्ज रह गयी। तथा प्रतिवादी नम्बर 01 रामूराम की खातेदारी बंट व कब्जा काश्त के हिंस्से में से सड़क [illegible] खातेदारी खसरा संख्या 03 रकबा 1.9267 हैक्टर यथावत है। अ[illegible] रामूराम के पास खातेदारी में भूमि ज्यादा है। इन सब तथ्यों का [illegible] वादीगण के खेतो में से रिंग रोड़ [illegible] भूमि का मुवावजा राशि सरकार द्वारा स्वीकृत [illegible] नम्बर 01 खेताराम के नाम से 3600596/रूपये व वादी नम्बर 02 मूलाराम के ना[illegible] 2523182/रूपये की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:31:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

राशि स्वीकृत हुयी इस प्रकार कुल 6123778/रूपये अक्षरे ईक्सठ लाख तेबीस हजार सात सौ अठत्तर रूपये की मुवावजा राशि दोनो वादीगण के नाम से स्वीकृत हुयी, लेकिन प्रतिवादी नम्बर 01 रामूराम ने वादीगण को कहा की हम तीनो भाई है तथा मुवावजा राशि तीनो भाई बराबर बराबर बांट ले, तथा रिंग रोड़ में गयी भूमि के बाद शेष भूमि को भी तीनो भाई बराबर बराबर बंटवारा कर ले, जिस पर वादीगण ने सहमति जताई और दिनॉक 02.03.2000 को पक्षकारान ने एक ईकरारनामा इस आश्य का लिखवाया कि पहले कुल भूमि 35.14 बीघा थी, जिसमें से करीब 4.4 बीघा भूमि सड़क में चली जाने के बाद 31.10 बीघा भूमि शेष है, जिसका बंटवारा बराबर बराबर तीन हिंस्सो में किया जावेगा, तथा मौके पर तीनो की भूमि का नाप चौक कर तीनो को बराबर बराबर जमीन का हिंस्सा संभाल लिया, तथा ईकरारनामा की लिखत पर अपने अपने हस्ताक्षर कर नोटेरी द्वारा तस्दीक करवा लिया गया, ईकरारनामा की नकल वाद के साथ पेश है। प्रतिवादी नम्बर 01 रामूराम की खातेदारी के खेत में से सड़क नहीं निकलने से उसके खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 03 रकबा 1.9267 हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, तथा वादी नम्बर 01 खेताराम की खातेदारी की भूमि 1.5026 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में दर्ज रह गयी है। तथा वादी नम्बर 02 मूलाराम की खातेदारी की 1.6437 हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज रह गयी है। लेकिन जिस तरह से मुवावजा राशि को तीन हिंस्सो में बराबर बराबर बांट कर लिया, उसी प्रकार सड़क निकलने के बाद शेष रही भूमि 1.9267+1.5026+1.6437 कुल 5.073 हैक्टर भूमि में से 1/3 हिंस्सा अर्थात प्रत्येक पक्षकार के 1/3 हिंस्से के हिसाब से प्रत्येक के 1.691 हैक्टर भूमि बंट में आती है, अर्थात प्रतिवादी नम्बर 01 रामूराम के बंट व कब्जा काश्त में आयी भूमि खसरा संख्या 03 रकबा 1.9267 हैक्टर में से 0.1900 हैक्टर भूमि वादी नम्बर 01 खेताराम के बंट में देने से खसरा संख्या 449/3 रकबा 1.1226 हैक्टर, खसरा संख्या 470/3 रकबा 0.3800 हैक्टर व 0.1900 हैक्टर कुल 1.6996 हैक्टर खेताराम की खातेदारी में दर्ज होनी है, जबकि मौके पर कब्जा पुरी भूमि का है। इसी प्रकार खसरा संख्या 03 रकबा 1.9267 हैक्टर में से 0.0467 हैक्टर भूमि वादी नम्बर 02 मुलाराम को देने से खसरा संख्या 450/3 रकबा 1.5647 हैक्टर, खसरा संख्या 471/450 रकबा 0.0790 हैक्टर कुल 1.6904 हैक्टर वादी नम्बर 02 मुलाराम के बंट में आयी हुयी होने से खातेदारी दर्ज होनी है, तथा खसरा संख्या 03 रकबा 1.9267 हैक्टर में से दोनो वादीगण को भुमि देने के बाद शेष रही 1.6910 हैक्टर भूमि प्रतिवादी नम्बर 01 रामुराम के बंट व कब्जा काश्त में होने से खातेदारी में दर्ज होनी है। इस प्रकार पक्षकारान द्वारा आपस में किये गये भाई बंटवारा के अनुसार तीनो के नाम से बराबर बराबर बंट हो गया है तथा इसी प्रकार पक्षकारान अपने अपने बंट में आये हिंस्सो पर काबिज है, तथा इसी प्रकार वर्तमान में भी अपने अपने बंट के हिंस्सो में काश्त कर रखी है तथा रिंग रोड़ में वादीगण अकेलो की जमीन अवाप्त हो जाने से तीनो भाईयों के खातेदारी की भूमि कम ज्यादा हो गयी थी, जिसको बराबर बराबर 1/3 हिंस्सो में नाप कर कर ली थी, लेकिन राजस्व रेकर्ड में तीनो भाईयों के बराबर बराबर भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज करनी है, तथा कानूनी रूप से बंटवारा कर रेकर्ड में दुरूस्ती की जानी जरूरी है। अतः वादीगण को दावा बाबत दुरूस्ती रेकर्ड व बंटवारा का करना लाजमी आया है। वादीगण के बंट व कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि में प्रतिवादी नम्बर 01 किसी प्रकार का दखल न नहीं करें, इस हेतु उसके खिलाफ वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है। जिसके ये जायज अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता वादी ने वादी का आदेश 18 नियम 04 सी0 पी0 सी0 का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया, जिसे शामिल मिशल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादीगण ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, वि[illegible] मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन [illegible] या [illegible] तत्सम्बधी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, [illegible] किया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम पठानो का बाढ़ के खसरा संख्या 03, 449/3, 470/3, 450/3, 471/450 व खसरा संख्या 02 का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाकर वादी नम्बर 01 खेताराम के बंट में खेत खसरा संख्या 449/3 रकबा 1.1226 हैक्टर, खसरा संख्या 470/3 रकबा 0.3800 हैक्टर व खसरा संख्या 03 रकबा 1.9267 हैक्टर में सें 0.1900 हैक्टर कुल 1.6996 हैक्टर, वादी नम्बर मूलाराम के बंट में खसरा संख्या 450/3 रकबा 1.5647 हैक्टर, खसरा संख्या 471/450 रकबा 0.0790 हैक्टर व खसरा संख्या 03 रकबा 1.9267 हैक्टर में से 0.0467 हैक्टर, कुल 1. 6904 हैक्टर तथा प्रतिवादी रामूराम के बंट में खसरा संख्या 03 रकबा 1.9267 में से शेष रही 1.6910 हैक्टर के पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किये जाते है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **11.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

वाद संख्याः **237/2021** दायर दिनाँक **01.09.2022**

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. खेताराम पुत्र आसुराम, 2. मूलाराम पुत्र आसुराम, जाति माली, निवासीयान हरनारायण बास, डीडवाना, जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. रामूराम पुत्र आसुराम, जाति माली, निवासी हरनारायण बास, डीडवाना जिला नागौर राज0 2. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **11.07.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम पठानो का बाढ़ के खसरा संख्या 03, 449/3, 470/3, 450/3, 471/450 व खसरा संख्या 02 का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाकर वादी नम्बर 01 खेताराम के बंट में खेत खसरा संख्या 449/3 रकबा 1.1226 हैक्टर, खसरा संख्या 470/3 रकबा 0.3800 हैक्टर व खसरा संख्या 03 रकबा 1.9267 हैक्टर में सें 0.1900 हैक्टर कुल 1.6996 हैक्टर, वादी नम्बर मूलाराम के बंट में खसरा संख्या 450/3 रकबा 1.5647 हैक्टर, खसरा संख्या 471/450 रकबा 0.0790 हैक्टर व खसरा संख्या 03 रकबा 1. 9267 हैक्टर में से 0.0467 हैक्टर, कुल 1.6904 हैक्टर तथा प्रतिवादी रामूराम के बंट में खसरा संख्या 03 रकबा 1.9267 में से शेष रही 1.6910 हैक्टर के पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किये जाते है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......................–.....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **11.07.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर्ज होना चाहिये, चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner